



संख्या : _____ /जी०एस० / शिक्षा / A3-34(8)/2020

प्रेषक,

बृजेश कुमार संत,
कुलाधिपति के सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,
कुमाऊँ विश्वविद्यालय,
नैनीताल।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय:उत्तराखण्ड

देहरादून दिनांक 22 मार्च, 2021

महोदय,

कृपया कुलपति के पत्र संख्या: 451/मान्यता/के०यू०/2019-20 दिनांक 06 जुलाई, 2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कुलपति द्वारा सूरजमल अग्रवाल प्राइवेट कन्या महाविद्यालय, किच्छा, ऊधमसिंहनगर को बी०कॉम० (आनर्स) पाठ्यक्रम में शैक्षिक सत्र 2019-20 से 2021-22 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण का प्रस्ताव संस्तुति के साथ इस सचिवालय को उपलब्ध कराया गया है।

2- शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्डल, कुलसचिव एवं कुलपति की संस्तुति के आधार पर उ०प्र० राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 (यथा प्रवृत्त उत्तराखण्ड राज्य) की धारा-37 (2) के अन्तर्गत संस्थान को निम्न तालिका के अनुसार उसके नाम के सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रमों, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता के सम्बन्ध में मा० कुलाधिपति द्वारा कार्योत्तर/सैद्धान्तिक स्वीकृति सत्र दर सत्र के आधार पर निम्न उपबन्ध के साथ प्रदान की गई है :-

क्रमांक	महाविद्यालय/संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	प्रवेश क्षमता (कुलपति की संस्तुतिनुसार)	अस्थाई सम्बद्धता की अवधि
1	2	3	4	5
1.	सूरजमल अग्रवाल प्राइवेट कन्या महाविद्यालय, किच्छा, ऊधमसिंहनगर	बी०कॉम० (अनर्स)	120 सीट	सत्र 2019-20

1- निरीक्षण मण्डल की आख्या एवं कुलपति की संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद, यू०जी०सी० विनियमों व नियामक संस्था के मानकों के पूर्ण करने की दशा में सम्बद्धता सम्बन्धी आदेश निर्गत करने की कार्यवाही करें व विश्वविद्यालय तत्सम्बन्धी कृत कार्रवाई की सूचना मा० कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

2- शैक्षिक सत्र प्रारम्भ होने से पूर्व छात्र हित में फ़ैकल्टी की नियुक्ति सहित सम्पूर्ण मानक पूर्ण कराने का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय का होगा। यदि सम्बद्धता/कार्योत्तर स्वीकृति के उपरान्त मानक अपूर्ण होने की दशा में उक्त महाविद्यालय की सम्बद्धता के सम्बन्ध में प्रश्न चिन्ह अथवा कोई शिकायत मा० कुलाधिपति को प्राप्त होती है तो इसकी समस्त जिम्मेदारी भी विश्वविद्यालय की होगी।

3- अग्रेत्तर सत्रों के सम्बद्धता प्रस्ताव मानक पूर्ण होने की दशा में ही स्वीकार्य होंगे। तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(बृजेश कुमार संत)
कुलाधिपति के सचिव।

संख्या : 3518 (1)/जी०एस० / शिक्षा / A3-34(8) /2020 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, हल्द्वानी।
3. प्राचार्य, सूरजमल प्राइवेट कन्या महाविद्यालय, किच्छा, ऊधमसिंहनगर।
4. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल हेतु।

आज्ञा से,

(जितेन्द्र कुमार सोनकर)
कुलाधिपति के अपर सचिव।